



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082022-238316
CG-DL-E-23082022-238316

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3781]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 2022/भाद्र 1, 1944

No. 3781]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 2022/BHADRA 1, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2022

प्रोजेक्ट नाम का शुद्धिकरण

का.आ. 3955(अ).—मंत्रालय द्वारा जारी 3a अधिसूचना क्रमांक का. आ. 3098 (अ).तारीख 6 जुलाई, 2022 के पैरा 1 जो निम्न प्रकार है:-

केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, औफस अफ् द डैप्यटी कमिषनर, इंफाल वेस्ट (NH150) के कि.मी 464.64 से 456.19, औफस अफ् द डैप्यटी कमिषनर, इंफाल वेस्ट (NH39) के कि.मी 320.32 से 327.555, डीसी औफस काम्पप्लैक्स्, इंफाल ईस्ट (NH39) के कि.मी 310.79 से 317.63, डीसी औफस काम्पप्लैक्स्, इंफाल ईस्ट (No Yet to be Assigned) के कि.मी 0 से 0.651, औफस अफ् द डैप्यटी कमिषनर, इंफाल वेस्ट (NH39) के कि.मी 317.63 से 318.84 मणिपुर राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में

उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

को निम्न प्रकार शुद्ध किया जाता है:

केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, डैप्यटी कमिषनर, इंफाल वेस्ट (NH150) के तहत के कि.मी 464.64 से 456.19, डैप्यटी कमिषनर, इंफाल वेस्ट (NH39) के तहत के कि.मी 320.32 से 327.555, डैप्यटी कमिषनर, इंफाल ईस्ट (NH39) के तहत के कि.मी 310.79 से 317.63, डैप्यटी कमिषनर, इंफाल वेस्ट (NH39) के तहत के कि.मी 317.63 से 318.84 मणिपुर राज्य के तक के 4 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर का नया निर्माण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. NH-12012/03/2022/MN/Zone-V/ Corrigendum]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd August, 2022

Corrigendum in Project Name

S.O. 3955(E).—3a Notification issued by the Ministry S.O. 3098(E) dated 6th July, 2022 Para 1 is as follows:

In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 464.64 to 456.19 of Office of the Deputy Commissioner, Imphal West (NH150) , 320.32 to 327.555 of Office of the Deputy Commissioner, Imphal West (NH39), 310.79 to 317.63 of DC Office Complex, Imphal East (NH39), 0 to 0.651 of Dc Office Complex, Imphal East (On SH No. 18), 317.63 to 318.84 of Office of the Deputy Commissioner, Imphal West (NH39) in the State of MANIPUR.

Is purified as :-

In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for New construction of 4-lane Elevated Corridor from km. 464.64 to km. 456.19 under the Deputy Commissioner, Imphal West (NH150) , km. 320.32 to km. 327.555 under the Deputy

Commissioner, Imphal West (NH39), km. 310.79 to km. 317.63 under the Deputy Commissioner, Imphal East (NH39), km. 317.63 to km. 318.84 under the Deputy Commissioner, Imphal West (NH39) in the State of MANIPUR.

[F. No. NH-12012/03/2022/MN/Zone-V/ Corrigendum]

RAJESH GUPTA, Director